न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 15 / 2023 विविध
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांकः– 27.06.2024

1. भैरूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बलाई निवासी ग्राम पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज।
2. गोपाल पुत्र लादूराम जाति बलाई निवासी ग्राम पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
3. हनुमान पुत्र लादूराम जाति बलाई निवासी ग्राम पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
4. भँवर लाल बलाई पुत्र नानगराम जाति बलाई निवासी ग्राम पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. उम्मेद सिंह पुत्र मान सिंह जाति राव निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज (फौत)

   1/1 शिव कँवर पत्नी स्व. उम्मेद सिंह

   1/2 श्याम सिंह पुत्र स्व. उम्मेद सिंह

   1/3 राकेश सिंह पुत्र स्व. उम्मेद सिंह

   1/4 राजेश कँवर पुत्र स्व. उम्मेद सिंह

   1/5 कौशल्या कँवर पुत्री स्व. उम्मेद सिंह

   1/6 लोकेश कँवर पुत्री स्व. उम्मेद सिंह

   समस्त जातियान राव, निवासी ग्राम पावंसू, तहसील फागी जिला जयपुर राज।

2. गोपाल सिंह पुत्र मान सिंह जाति राव निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर।
3. जगदीश सिंह पुत्र मान सिंह जाति राव निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज.
4. नारायण पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

5. प्रहलाद पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज.
6. कैलाश पुत्र प्रभूराम जाति कुम्हार निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज।
7. हनुमान पुत्र प्रभूराम जाति कुम्हार निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज.
8. विमल पुत्र स्व. बद्री जाति कुम्हार निवासी पावंसू, तहसील फागी जिला जयपुर राज।
9. मेवा देवी पत्नी स्व. बद्री जाति कुम्हार निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर।
10. पांचू पुत्र भूरा जाति कुम्हार निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
11. सूवा पुत्र भूरा जाति कुम्हार निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
12. गणेश नारायण पुत्र मोहरू जाति कुम्हार निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर।
13. प्रभू सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राव निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज।
14. शिवराज बुनकर पुत्र नानगराम जाति बलाई, निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज।
15. मैना देवी पत्नी स्व. नानगरान जाति बलाई, निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज
16. उगन्ता पुत्री श्रवण जाति बलाई, निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज।
17. फूला देवी पत्नी श्रवण जाति बलाई, निवासी पावंसू तहसील फागी जिला जयपुर राज।
18. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री सत्यदेव सिंह नरूका वकील प्रार्थीगण
श्री सौभाग मल बैरवा वकील अप्रार्थीगण संख्या 06 लगायत 09, 12, 14 लगा. 17

प्रार्थना–पत्र धारा 111 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक:– 27.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि खतौनी सं. 141 के आराजी खसरा नम्बर 606 / 5 रकबा 2.7819 हैक्टेयर एवं खतौनी सं. 76 के आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

नं. 607/5 रकबा 2.7819 हैक्टेयर एवं खतौनी सं. 194 के आराजी खसरा नं. 608/5 रकबा 2.7819 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पावंसू, पटवार हल्का परवण, भू. अभि.नि. क्षेत्र नीमेडा तहसील फागी में स्थित है जिसमें से खतौनी सं. 141 का प्रार्थी सं. 1 खतौनी सं. 76 के प्रार्थी सं. 2 व 3, खतौनी सं. 194 का प्रार्थी सं. 4 व तरतीबी अप्रार्थी सं. 14 लगा. 17 खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी से 1 लगा. 13 प्रार्थी सं. 1 के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी सं. 1 ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेश क्रमांक/एल.आर./2020/2083 दिनांक 16/06/2020 की पालना में दिनांक 09/07/2020 को पटवारी हल्का परवण से सीमाज्ञान करवाया गया इसी प्रकार प्रार्थी से 2 व 3 ने भी अपनी आराजी भूमि 607/5 का विधिवत रूप से तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/एल.आर./2020/2086 दिनांक 16/06/2020 की पालना में दिनांक 09/07/2020 में पटवारी हल्का परवण से सीमाज्ञान करवाया इसी प्रकार प्रार्थी सं. 4 व तरतीबी अप्रार्थीगण 14 लगा. 17 ने भी अपनी खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से तसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/एल.आर. /2020/2081 दिनांक 16.06.2020 की पालना में दिनांक 09/07/2020 को पटवारी हल्का परवण से सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान होने के पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 लगा. 13 उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं किया व सीमाज्ञान के समय किये गये निशानात सही कायम रहे लेकिन अभी हाल ही में दिनांक 04/03/2023 को अप्रार्थी सं. 1 लगा 13 उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे व कहा कि हम कोई सीमाज्ञान नहीं मानते है हम हमारे हिसाब से हमारी आराजी की बाहजोत करेगे व बाहुबल के आधार पर उक्त सीमा को व पूर्व में सीमाज्ञान के जो निशानात कायम किये गये थे उन निशानात को हटाने पर आमादा हो रहे है व पटवारी हल्का द्वारा विधिवत रूप से किया गया सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे जबकि मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें के अनुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 09/07/2020 को पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शें अनुसार दर्शाये हुये पालना रिर्पोट तहसीलदार फागी को प्रस्तुत की इस प्रकार उक्त सीमाज्ञान के समय कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा 13 नहीं चाहते की उक्त सीमाओं व मेरकोर का विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शांतीपूर्वक काश्त कर सके, अप्रार्थीगण विधिवत किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते एवं प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योंकि मौका स्थिति पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 09/07/2020 एवं आदेश क्रमांक/एल. आर/20/2083 इसी प्रकार आदेश क्रमांक/एल.आर./20/2086 इसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

आदेश क्रमांक / एल.आर. / 20 / 2081 दिनांक 16 / 06 / 2020 को तहसीलदार फागी के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 09 / 07 / 2020 को पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान कर एवं मौके पर काश्त करवाये गये निशानात को अप्रार्थी सं. 1 लगा. 13 नहीं मानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन लडाई झगडा करते है मेर कोर को लेकर लडाई झगडा करते है एवं पत्थरगढी नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण विवाद उत्पन करते है इस कारण प्रार्थीगण को यह पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। तहसीलदार फागी के आदेश दिनांक 16 / 06 / 2020 की पालना में दिनांक 09 / 07 / 2020 को पटवारी हल्का परवण द्वारा किया गया सीमाज्ञान दिनांक 09 / 07 / 2020 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। अप्रार्थी सं. 14 लगा. 17 से कोई विवाद नहीं है लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पेश करते समय मौजूद नहीं होने से तरतीबी अप्रार्थीगण कायम किये गये है। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। मुताबिक रजिस्टर्ड डाक डिलीवरी रिपोर्ट अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 05, 10, 11, 13, 1 / 1 लगायत 1 / 6 व 18 बाद तामील हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 05, 10, 11, 13, 1 / 1 लगायत 1 / 6 व 18 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 06 लगायत 09, 12, 14 लगायत 17 की ओर से वकील श्री सोभागमल बैरवा उपस्थित आये तथा इकबालिया जवाब पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं कि।

सत्यमेव जयते

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कि।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पांवसु में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2076–2079 वाके ग्राम पांवसु के खतौनी सं. 141 के आराजी खसरा नम्बर 606 / 5 रकबा 2.7819 हैक्टेयर एवं खतौनी सं. 76 के आराजी खसरा नं. 607 रकबा

उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला–दूदू

2.7819 हैक्टेयर व खतौनी संख्या 194 के आराजी खसरा नं. 608 / 5 रकबा 2.7819 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पांवसु, पटवार हल्का परवण, भू.अभि.नि. क्षेत्र नीमेड़ा तहसील फागी में स्थित है प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 02 मे अंकित किया है कि आरजी खसरा नंबर 606 / 5 का पूर्व मे दिनांक 09.07.2020 व आराजी ख0 नं0 607 / 5 का पूर्व दिनांक 22.06.2020 तथा आराजी ख0नं0 608 / 5 का पूर्व दिनांक 09.07.2020 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 141 के आराजी खसरा नम्बर 606 / 5 रकबा 2.7819 हैक्टेयर एवं खतौनी सं. 76 के आराजी खसरा नं. 607 / 5 रकबा 2.7819 हैक्टेयर एवं खतौनी सं. 194 के आराजी खसरा नं. 608 / 5 रकबा 2.7819 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पांवसु तह0 फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर समस्त पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/6/24

(राकेश कुमार ...)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू